संख्या:5001/आठ-6-09-41बैठक/2009

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः23 अप्रैल, 2010

विषयः उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों में विकलांगजनों के लिए आरक्षण तथा रियायत दिये जाने एवं उपलब्धता के आधार पर यथा सम्भव शहर के निकट आवंटन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1967/9-आ-1-01-6रिट/2000, दिनांक 27.04.01 एवं तदक्रम में शासनादेश संख्या-786/आठ-1-08-25विविध/07, दिनांक 30 जनवरी, 2008 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, उत्तर प्रदेश शाखा की मांगों के सम्बंध में प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18 जून, 2009 को सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा उपलब्धता के आधार पर यथासम्भव शहर के निकट भूखण्ड मूल्य में नियमानुसार अनुमन्य छूट को उपलब्ध कराते हुए आवंटित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में उक्त संदर्भित शासनादेशों दिनांक 27.04.2001 एवं 30 जनवरी, 2008 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों में विकलांगजनों के लिए उपलब्धता के आधार पर यथा सम्भव शहर के निकट भूखण्ड मूल्य में नियमानुसार अनुमन्य छूट को उपलब्ध कराते हुए आवंटित किया जाये।

4- संदर्भित शासनादेश उक्त सीमा तक आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है तथा शासनादेशों दिनांक 27.04.2001 एवं दिनांक 30.01.2008 की शेष व्यवस्थाएं यथावत् प्रभावी रहेगीं। कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(जे0 पी0 सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-5001(1)/आठ-6-09,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजनक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 सिंह)
विशेष सचिव।